

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठसीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ...*20/11/21*प्रशासन गांवों के संग  
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- *457*.../2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का ...*20/11/21*....., भू अ0नि0 वृत्त ...*20/11/21*..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा ...*20/11/21*..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् *2000*..... के खाता संख्या ...*912*..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<i>20/11/21</i>	<i>912</i>	<i>कलाम 90 काल</i>	<i>कलाम चंद 90 काल राक</i>

*457*  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(*457*)2021दिनांक :- *17/11/2021*

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री *कलाम चंद 90 काल राक* को सूचनार्थ।

*457*  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

